राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1370/2025

सुनील कुमार फरडोदा —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पशुपालन, लालकोठी, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पशुपालन, सीकर।
4. गजेन्द्र सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन, सीकर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक : 03.03.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय, संयुक्त निदेशक, पशुपालन, सीकर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1996 में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से संयुक्त निदेशक, पशुपालन, दौसा में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को संमजित करने के आशय से बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अजय कुमार बनाम सरकार में पारित आदेश के विरूद्ध है। अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 3558/2024 दायर की। जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक—2) को स्थगन आदेश पारित किया गया था, जो माननीय अधिकरण के समक्ष लम्बित है। इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये जारी किया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश राजेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि अपील के लम्बित रहते हुए विभाग अन्य कोई स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं कर सकता है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है। जबकि अपीलार्थी ने स्थानान्तरण के

संबंध में कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलर्थी को यथावत वर्तमान सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय, संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सीकर में रखने के आदेश प्रदान किये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय, संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, दौसा में प्रशासनिक आवश्यकता एवं राज्यहित में नियमानुसार स्थानान्तरण किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने का प्रश्न है **डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438** का निर्णय उदृत किया गया है। हमने इस पर विचार किया और हमारे मत में केवल इस कारण कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को उस की स्वयं की प्रार्थना पर अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य